GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT,
I[st] Floor, MAHARANA PRATAP ISBT BUILDING,
KASHMERE GATE, NEW DELHI-110006
(Administration Branch)

सं. 17(43)/प्रशा./विविध विषय/2024 2618-19. **दिनांक:** .... 19 MAY 2025

प्रति,

सभी शाखा प्रभारी / उप निदेशक / जिला अधिकारी / संस्थानों / आश्रय गृहों के प्रभारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

विषय: "दिल्ली में राजभाषा"

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक "कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग" से प्राप्त पत्र इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिसकी विषयवस्तु स्वस्पष्ट है।

उक्त पत्र को आपके सौजन्य ध्यानार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,
19/05/25

(प्रशासनिक अनुभाग अधिकारी)
महिला एवं बाल विकास विभाग

सं. 17(43)/प्रशा./विविध विषय/2024 2618-19 **दिनांक:** .... 19 MAY 2025

प्रतिलिपि:

1. उप निदेशक (आई.टी. शाखा), महिला एवं बाल विकास विभाग, एन.सी.टी. दिल्ली — विभाग की वेबसाइट पर उक्त पत्र अपलोड करने हेतु।

19/05/25

(प्रशासनिक अनुभाग अधिकारी)
महिला एवं बाल विकास विभाग

2021C

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/652 – 702   दिनांकः 29/4/25

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय
   राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, स्थानीय निकाय,
   स्वायत्त संस्थाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

विषयः "दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2000" के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या08(06)/2019–20/क0सं0एवं भाषा दिनांक 19.08.2019 का तथा तदुनरान्त जारी अनुस्मारक दिनांक 04.04.2022, 27.03.23, 13.10.2023 व 30.10.2024 का संदर्भ लें। जैसाकि विदित है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने "दिल्ली राजभाषा अधिनियम–2000" के अन्तर्गत उर्दू एवं पंजाबी भाषा को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। अतः अनुरोध है कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग/कार्यालय निम्नलिखित अनुसार "दिल्ली राजभाषा अधिनियम–2000" को क्रियान्वित करें।

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा उर्दू या पंजाबी में आवेदन पत्र अथवा याचिकाएं प्राप्त करना और उनका उत्तर देना।

(ख) महत्वपूर्ण सरकारी नियम, विनियम और राजपत्र अधिसूचनाओं के उर्दू और पंजाबी अनुवाद का भी प्रकाशन।

(ग) सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों तथा सड़कों आदि के नामपट्ट उर्दू तथा पंजाबी में भी लिखा जाना।

(घ) उर्दू तथा पंजाबी के समाचार–पत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का भी प्रकाशन।

(ङ) जहां कहीं आवश्यक हो विधानसभा की कार्यवाही उर्दू और पंजाबी में भी अभिलेखबद्ध की जाएगी तथा उर्दू एवं पंजाबी में भी साथ–साथ जारी की जाएगी। इस संबंध में आपको पूर्व में पत्र सं0फा0 08(06)/2019–20/क0सं0एवं भाषा/ दिनांक 27.03.2023, 13.10.2023 व 30.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

उर्दू एवं पंजाबी भाषा संबंधी सहायता प्राप्त करने के लिए इस विभाग के दूरभाष संख्या 23392001–6 (इन्टरकॉम 3715) से संपर्क किया जा सकता है। अधिनियम की प्रति इस विभाग की वेबसाइट **www.artandculture.delhigovt.nic.in** से प्राप्त की जा सकती है।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/703 – 706   दिनांकः 29/4/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः–

1. सचिव, उपराज्यपाल दिल्ली, राजनिवास सचिवालय, राजनिवास मार्ग, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, उप–मुख्यमंत्री, दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(क0सं0 एवं भाषा)

2011C

Gmail

Administration DWCD, GNCTD <supdtadmnwcd@gmail.com>

Fwd: दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

1 message

jointdirector2-dwcd <jointdirector2-dwcd@delhi.gov.in>
To: supdtadmnwcd <supdtadmnwcd@gmail.com>

Wed, Apr 30, 2025 at 12:29 PM

============ Forwarded message ============
From: Ms. Mitali Namchoom <wcd@nic.in>
To: "JDWCD"<jointdirector2-dwcd@delhi.gov.in>
Date: Wed, 30 Apr 2025 10:37:13 +0530
Subject: Fwd: दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।
============ Forwarded message ============

From: dysecyacl@gmail.com
To: "RCS" <rcoop@nic.in>, ps2cfs@gmail.com, "A. Anbarasu" <pshome@nic.in>, "Sh Navin Kumar Choudhary IAS" <sgad@nic.in>, "Sh Anil Kumar Singh" <secservices@nic.in>, "pspwd" <pspwd@nic.in>, "Sh. A.K Singh" <senv@nic.in>, "Shri Navin K. Choudhary" <psud@nic.in>, "Shurbir Singh" <chairmandsssb.delhi@nic.in>, "Ashok Kumar" <secyedu@nic.in>, "Divisional Commissioner" <divcom@nic.in>, "CEO DJB" <ceodelhi.djb@nic.in>, "Ms. Chanchal Yadav, IAS" <ctt.delhi@nic.in>, delhishelter@gmail.com, "Ravi Jha" <cexcise@nic.in>, "commtpt" <commtpt@nic.in>, "labcomm delhi" <labcomm.delhi@gmail.com>, "Sh Anil Kumar Singh IAS" <cdevlop@nic.in>, "DIR DAM" <dagri@sansad.nic.in>, buildingland222@gmail.com, "DIRECTOR DFS" <director.dlfire@nic.in>, "Veditha Reddy" <diredu@nic.in>, "Neha Bansal" <cfss.delhi@nic.in>, "Shri Sudhir Kumar" <dvigil@nic.in>, "Director Training UTCS" <dutcs@nic.in>, "slaw" <slaw@nic.in>, "Dr. Ashish Chandra Verma" <psfin@nic.in>, "Pradeep Manohar Naik" <dsw@nic.in>, "KUMAR ABHISHEK" <dirtte.delhi@nic.in>, "Commissioner of Industries" <comind@sansad.nic.in>, "Secretary (IT)" <secyit@nic.in>, "Sh. Vinod P Kavle" <pssw@nic.in>, scstsecretary@gmail.com, "Ms. Mitali Namchoom" <wcd@nic.in>, commissioner-sdmc@mcd.gov.in, commissioner-edmc@mcd.gov.in, commissioner-ndmc@mcd.gov.in, mddsiidc@gmail.com, "DA MB" <ambdl@nic.in>, "MDnCEO" <md@delhitourism.gov.in>, "Nandini Paliwal" <pstechedu@nic.in>, "Joint Director Planning" <jdplg@nic.in>, pwdhqdelhi@gmail.com, "tourism gnctd" <tourism.gnctd@gmail.com>, dysecyacl@gmail.com, "Commissioner SDMC" <commissioner-sdmc@mcd.nic.in>, "KAPIL SHARMA" <dgmdfc.delhi@nic.in>, emd@dtc.nic.in, hindiofficer2012@gmail.com, eoadmindelhi@gmail.com, schbranch@hotmail.com, scstdepartment@gmail.com, urduacademydelhi@gmail.com, secretarypunjabiacademy@gmail.com, kamladevi1008@gmail.com, "Manoj Kumar" <dsfexp5.delhi@nic.in>, comntpt@nic.in, dcplgtpt@gmil.com, departmentpower@gmail.com, "Rati Singh" <rati.singh16@gov.in>, ratiphogat@gmail.com, "vijaypal dusib" <vijaypal.dusib@gmail.com>, prodjb115@gmail.com, "law gnctd" <law_gnctd@delhi.gov.in>, drgglspvpratishthanam@gmail.com, obcdelhi@gmail.com, forensicdelhi@gmail.com, hindiacademydelhi@gmail.com, gkjacademydelhi@gmial.com, "dghome" <dghome@nic.in>, "Webmaster, Depart ment of IT" <webupdate@nic.in>, "SANJAY KUMAR SURYA" <surya.sk@gov.in>, nandlalos1@gmail.com, cepddelhibp2b2@gmail.com, cepwddelhiop@gmail.com, ddarchive@nic.in, "Sh. Sanjiv Kumar, IAS" <cfood@nic.in>, ceifcd@gmail.com, aobranchifcd@gmail.com, "Balaji Srivastava" <cp.balajisrivastava@delhipolice.gov.in>, depttofarchaeology@gmail.com, "CHAIRMAN DPCC" <chdpcc@nic.in>, "Om Prakash" <dirge@gov.in>, omprakash67@delhi.gov.in, bhardwajbp65@gmail.com, "Praveen Bhargav" <praveen.28@nic.in>, osdhas2015@gmail.com, sjagmohan56@gmail.com, drdhananjaygtbh@gmail.com, "RameshKumar" <ramesh.kumar1967@delhi.gov.in>, "Bhupinder Prakash" <adofpw4-dlfire@nic.in>, "Commissioner MCD" <commissioner@mcd.nic.in>, commissioneredmc@gmail.com, commissioner-sdmc@mcd.go, "Chairperson NDMC" <chairperson@ndmc.gov.in>, "TARIQ THOMAS" <Secretary@ndmc.gov.in>, pwdhqdelhi@gmail.co, "ce pwddelhiop" <ce.pwddelhiop@gmail.com>, "Engineer in chief" <einc-pwd@delhi.gov.in>, municipalsecretarymcd@mail.com, muncipalsecretaryeast@gmail.om, muncipalsecretarymcd@gmail.com, Commissioner-ndms@mcd.gov.in
Sent: Tuesday, April 29, 2025 3:54:27 PM
Subject: दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

May be forwarded to all branchs of DWCD through email.

Acl 469.pdf
524K

[signature] 30/4/25

D.D(Adm)

200)C

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल, आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

फा.स. 08(06)/2019–20/क0सं0 एवं भाषा/469-519 दिनांक: 29/04/2025

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, समस्त स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।

विषयः दिल्ली सरकार के सभी विभागों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने का अनुरोध।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर इस विभाग द्वारा जारी पत्रांक संख्या08(06)/2019–20/क0सं0एवं भाषा दिनांक 19.08.19 का तथा तदुपरान्त जारी अनुस्मारक दिनांक 04.04.2022, 27.03,23 13.10.2023, 30.10.2024 का संदर्भ लें। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के विभागों तथा उनसे जुड़े उपक्रमों/निकायों/संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1976 एवं दिल्ली राजभाषा अधिनियम, 2003 के नियमों तथा इनके अन्तर्गत जारी आदेशों/निदेशों के उपबंधों के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजभाषा हिन्दी में कार्य न किए जाने संबंधी गणमान्य व्यक्तियों/सामान्य व्यक्तियों/कर्मचारियों से बार–बार पत्र प्राप्त होते रहते हैं और यह विभाग उन पत्रों का संतोषजनक उत्तर देने की स्थिति में नहीं पाता है। इस सरकार की दिनांक 14.01.2004 की अधिसूचना सं0 7 (9)/97–भाषा के अनुसार हिन्दी को दिल्ली की राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है परन्तु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किसी भी विभाग में अपेक्षित प्रतिशत कार्य राजभाषा में नहीं हो रहा है, जो विभागों की हिन्दी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है।

जबकि दिल्ली सरकार के अधिकतर अर्थात् 80प्रतिशत से अधिक कर्मचारी/अधिकारी हिन्दी में प्रवीण है और लगभग सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी रखते है । यह विभाग हिन्दी में प्रवीण अधिकारियों/कर्मचारियों से टिप्पण, प्रारूपण इत्यादि के लिए केवल हिन्दी का प्रयोग करने की आशा करता है जबकि वर्तमान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । यहां तक कि हिन्दी में लिखे गए अथवा हस्ताक्षरित पत्रों तक का उत्तर भी जनसाधारण, गणमान्य व्यक्तियो, कर्मचारियों, स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं आदि को अंग्रेजी में दिया जाता है। इस संबंध में राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 एवं नियम 7 (1) (2) एवं 7 (3) में स्पष्ट उल्लेख है जिसके उद्धरण अनुपालन हेतु निम्न प्रकार हैं :–

नियम 5 के अनुसार, नियम 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी हिन्दी में पत्रादि के उत्तर हिन्दी में दिये जायेंगे।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि :– 7. (1) कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

(2) जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

(3) यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

199/C

अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि राजभाषा नियमावली, 1976 के नियमों के सभी उपबंधों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करवाने हेतु अपने अधीन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को यथोचित निदेश देने का कष्ट करें। इस संबंध में आपको पूर्व में पत्र संoफाo 08(06)/2019–20/कoसंoएवं भाषा/ दिनांक 27.03.2023, 13.10.2023 व 30.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है।

भवदीय

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(कoसंo एवं भाषा)

फा.सं. 08(06)/2019–20/कoसंo एवं भाषा/ 520-533 दिनांक: 29/04/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खादय एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ।
5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय परिसर, तीस हजारी दिल्ली ।
6. निदेशक, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली ।
7. उपायुक्त पुलिस (मुख्यालय), दिल्ली पुलिस मुख्यालय, जयसिंह मार्ग, अशोका रोड , नई दिल्ली को दिल्ली पुलिस के प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन को अनुपालनार्थ।
8. उपायुक्त , यातायात पुलिस (मुख्यालय), देव प्रकाश शास्त्री मार्ग,, पूसा, नई दिल्ली ।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सैन्टर, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली।
10. हिन्दी अधिकारी, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, पालिका केन्द्र, नई दिल्ली को परिषद् के प्रत्येक बड़े विभाग को अनुपालनार्थ।
11. प्रबंधक, राजभाषा अनुभाग, दिल्ली परिवहन निगम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को प्रत्येक डिपो को अनुपालनार्थ।
12. महाप्रबंधक (प्रशासन), दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, शक्ति सदन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को प्रत्येक जोन को अनुपालनार्थ।
13. निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक), दिल्ली जल बोर्ड, वरूणालय फेस–2, झण्डेवालान, नई दिल्ली को अनुपालन हेतु।

आशीष मिश्रा

(आशीष मिश्रा)
अनुभाग अधिकारी(कoसंo एवं भाषा)